1. **SCNIA/129/2021**

Hindustan Abhikaran V/S Rakhi

13.08.2022

प्रकरण आज राजीनामा हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत खण्डपीठ कमांक 07 के समक्ष रखा गया।

प्रकरण आज राजीनामा हेतु लोक अदालत में पेश।

परिवादी सहित श्री ऋषि गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनिर्वाहित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर परिवादी ने उपस्थित होकर आवेदन अन्तर्गत धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम का पेश किया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण आरोपी की उपस्थिति के प्रक्रम पर है। अतः **दामोदर एस प्रभु विरूद्ध सैयद बाबालाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907** के न्यायदृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार चेक की राशि का 10 प्रतिशत अभियुक्त द्व ारा सामान्य परिस्थितियों में शास्ति स्वरूप देय है, परन्तु उक्त न्यायदृष्टांत में ही माननीय न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त उपस्थित होने के दूसरी सुनवाई तक राजीनामा करे तो शास्ति की आवश्यकता नहीं है, इसके पश्चात् प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग कर उक्त प्रतिशत को कम कर सकता है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण प्रारंभ से ही अभियुक्त की उपस्थिति के प्रक्रम पर चला आ रहा है तथा आज ही परिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा आवेदन पेश किया तथा राजीनामा होना व्यक्त किया। प्रकरण में कोई अग्रिम सारभूत कार्यवाही नहीं हुई है। अतः अभियुक्त से परिव्यय राशि जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में किये जाने पर परिवादी अपना न्यायशुल्क भी वापस पाने का अधिकारी हो जायेगा।

परिवादी का आवेदन इस आशय का है कि परिवादी तथा अभियुक्त के मध्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं लोक अदालत के सदस्यगण के प्रयास से राजीनामा हो गया है। परिवादी ने अभियुक्त से चेक की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली है और अब

2. **SCNIA/129/2021**

Hindustan Abhikaran V/S Rakhi

कोई विवाद शेष नहीं है। समझौता बिना दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया किया जाना दर्शित है। परिवादी की पहचान श्री ऋषि गुप्ता अधिवक्ता द्वारा की गयी। अतः आवेदन स्वीकार कर राजीनामा के आलोक में अभियुक्त **राखी पति अमित जैन** के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभियुक्त को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने से परिवादी न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 16 में हुए संशोधन अनुसार न्यायशुल्क की सम्पूर्ण राशि वापस पाने का अधिकारी होगा। अतः न्यायशुल्क वापसी का प्रमाण पत्र जारी हो।

प्रकरण में पूर्व से नियत आगामी पेशी दिनांक 29.08.2022 निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

श्रीमती मालती भिलाला
(सदस्य)

निधि जैन (जूनि.)
राष्ट्रीय लोक अदालत
खंडपीठ क्रं.07
जिला खंडवा म0प्र0

NIDHI JAIN Digitally signed by NIDHI JAIN